न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः— सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्याः— 115/2022 (18 आयुध अधिनियम 1959) (RCMS No.2022/119)

भाईराम पुत्र श्री रामजीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम मजीपुरा थाना बांलघाट तहसील टोडाभीम जिला करौली राजस्थान हाल कार्यरत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम हिण्डौन जिला करौली (राज0)

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली।

.....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली दिनांक 14.7.2022

उपस्थितिः—

1. श्री प्रमोद उपमन वकील अपीलान्ट।
2. सहायक लोक अभियोजक।

निर्णय

दिनांकः 25.7.2023

उक्त अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली के निर्णय दिनांक 14.7.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि न्याय अनुभाग जिला कलक्टर करौली द्वारा पत्रांक 9356—9395 दिनांक 29.12.2014 को यह आदेश पारित किया गया कि पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये जिले के समस्त अनुज्ञाधारियों को अपने शस्त्र संबधित थाने में दिनांक 3.1.2015 से पूर्व जमा कराये जाने है। जिसकी सूचना स्थानीय समाचार पत्रों से करायी गई। पुनः दैनिक भास्कर एवं राष्ट्रदूत के स्थानीय संस्करण दिनांक 14.1.2015 के द्वारा शस्त्र जमा करवाने का अन्तिम अवसर दिया गया किन्तु अपीलान्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपना लाईसेंसी शस्त्र संबधित थाने में जमा नहीं कराने पर जिला पुलिस अधीक्षक करौली की रिपोर्ट के आधार पर आदेश कमांक न्याय/15/1657 दिनांक 13.3.2015 से कम संख्या 1 लगायत 64 अनुज्ञापत्रधारियों के शस्त्र अनुज्ञापत्रों को आर्म्स एक्ट 1959 का उल्लघंन करने पर निलम्बित किया गया था जिसमें अपीलान्ट भाईराम का नाम कम संख्या 59 पर अंकित है। इस निर्णय के खिलाफ अपीलान्ट ने न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर के समक्ष अपील पेश की जिसमें सभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा निर्णय दिनांक 23.11.2021 को प्रकरण रिमाण्ड किया गया। इस रिमाण्ड आदेश की पालना में जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.7.2022 से अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को निरस्त कर दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। सहायक लोक अभियोजक उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2022 विधिविरूद्ध एवं तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। जिला कलक्टर करौली की ओर से पूर्व में पारित आदेश दिनांक 13.03.2015 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा अदालत हाजा में अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसमें अदालत हाजा द्वज्ञरा पारित आदेश दिनांक 23.11.2021 के द्वारा अपील स्वीकार कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु जिला मजिस्ट्रेट करौली को प्रेषित किया गया था। परन्तु विद्वान जिला मजिस्ट्रेट करौली ने अदालत हाजा द्वारा दिनांक 23.11.2021 के आदेश में दिए गए निर्देशों पर न तो कोई गौर किया और न ही उनकी कोई पालना ही की। वरन् पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 13.03.2015 का हवाला देते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.07.2022 को पारित किया है, जो कि विधिविरूद्ध व अदालत हाजा द्वारा दिए गए निर्देशों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। जबकि अदालत तहत को अदालत हाजा के निर्णय दिनांक 23.11.2021 की पालना में पुलिस अधीक्षक करौली से रिपोर्ट तलब कर संबधित थाने से अपीलान्ट के अपराध में चरित्र का सत्यापन कर और हथियार के संबध में जानकारी करने व अपीलान्ट के हथियार जमा होने या नहीं होने, अपीलान्ट द्वारा हथियार का कोई दुरूपयोग किया गया है या नहीं इस संबंध में पूर्ण जांच के पश्चात ही निर्णय पारित करना चाहिए था। परन्तु उक्त विधिक कार्यवाही किये बिना ही अपीलधीन निर्णय पारित किया गया है जो निरस्तनीय है। जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा अपीलाधीन निर्णय में यह स्वीकार किया है कि पुलिस अधीक्षक करौली द्वारा अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र की वहाली करने में अनापत्ति है। परन्तु इसके बाद भी अपीलाधीन निर्णय पारित कर अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया है जो न्यायसंगत नहीं है। पूर्व के आदेश दिनांक 13.03.2015 में अपीलान्ट का नाम गलत है व पूर्व में भी सामूहिक प्रकिया अपनाई जाकर शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किए गए थे, जो कि विधि विरूद्ध होने के कारण अदालत हाजा द्वारा पूर्व आदेश दिनांक 23.11.2021 से निरस्त किया गया था। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि तहत अदालत ने इस ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र संख्या 2567/01 नियमानुसार विधिवत रूप से जारी किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश से पूर्व व पश्चात कभी–भी अपने शस्त्र का दुरूपयोग नहीं किया गया है। अनुज्ञापत्र की समस्त शर्तों की पूर्ण पालना की जाती रही है, फिर भी तहत अदालत ने आदेश जेर अपील पारित करने में कानूनी भूल की है। अपीलाधीना आदेश जारी करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया। वरन् तहत अदालत द्वारा तमाम कार्यवाही अपीलान्ट की बैक पर पारित की गई है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के खिलाफ है। अपीलान्ट राजस्थान राज्य परिवहन निगम कोटा में कार्यरत रहा है और वर्तमान में हिण्डौन में कार्यरत है तथा अपीलान्ट को कोई सूचना उसके पूर्व निवास कोटा अथवा वर्तमान निवास हिण्डौन में प्राप्त नहीं हुई है।

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

तहत अदालत ने अपीलान्ट के पिता का नाम भी गलत लिखा है क्योंकि अपीलान्ट के पिता का नाम रामजीलाल है लेकिन अपीलाधीन आदेश में पिता का नाम श्रीचंद अंकित किया गया है तथा आदेश में वर्णित गन नम्बर अपीलान्ट का ही अंकित है। इस प्रकार अपीलान्ट को जानकारी असम्भव है। अपीलान्ट के चरित्र का सत्यापन भी नहीं किया गया है जबकि अपीलान्ट के विरूद्ध कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है और ना ही शस्त्र का दुरूपयोग किया गया है। बावजूद इसके अपीलाधीन आदेश से अनुज्ञापत्र निरस्त किया जाना विधिसंगत नहीं है। तहत अदलत ने चुनाव कार्य के दौरान यह आदेश पारित किया है जो कि एक सामूहिक कार्यवाही है और सामुहिक रूप से आदेश पारित कर अनेक व्यक्तियों (लगभग 64 व्यक्यिों) के साथ अपीलान्ट को भी शामिल करते हुय उक्त कार्यवाही की गई है। अपीलान्ट को अलग से कोई सूचना भी नहीं दी गई है और इस प्रकार सामुहिक प्रकिया को सही नहीं माना जा सकता है। इस आधार पर अपीलाधीन निर्णय खारिज योग्य है। अपीलान्ट भूतपूर्व सैनिक है और भूतपूर्व सैनिक होने के कारण ही अपीलान्ट को गन लाईसेंस जारी हुआ था। जिसका अपीलान्ट ने कभी भी दुरूपयोग नहीं किया है और ना ही ऐसी कोई संभावना है। इस संबध में अदालत हाजा द्वारा पूर्व रिमाण्ड आदेश दिनांक 2311.2021 को अपना निर्णय पारित कर आदेश दिनांक 13.3.2015 को निरस्त कर दिया था परन्तु इसके बाद भी पूर्व निर्णय के आधार पर ही अपीलाधीन निर्णय पारित करने में अदालत तहत ने भारी भूल की है। अपीलान्ट भूतपूर्व सैनिक है तथा ऑल इण्डिया का आर्म्स लाईसेंस है और वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम हिण्डौन में कार्यरत है। अपीलान्ट के नाम जारी हथियार पहले से ही थाना में जमा है तथा अपीलान्ट नौकरी के कारण गांव में नहीं रहता है परन्तु इस तथ्य पर भी गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी भूल की है। निर्णय दिनांक 14.7.2022 को किया गया है जिसकी नकल लेने का आवेदन दिनांक 26.7.2022 का ही अपीलान्ट ने लगाया परन्तु नकल दिनांक 2.9.2022 को दी गई है। इसलिऐ नकल मिलने से अपील अपीलान्ट द्वारा अंदर मियाद अपील पेश की गई है। अपील पेश करने में हुए विलम्ब कंडोन किए जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का शपथ पत्र व प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जावे व अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.07.2022 निरस्त कर प्रकरण पुनः जिला मजिस्ट्रेट करौली को अदालत हाजा की ओर से पारित निर्णय दिनांक 23.11.2021 में दिए गए निर्देशों के अनुरूप अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने तथा आयुध अधिनियम के प्रावधानों परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में कानून एवं शांति व्यवस्था के औचित्य को दृष्टिगत रखते हुए गुणावगुण के आधार पर पुनः तार्किक न्यायसंगत व स्पीकिंग आदेश पारित किए जाने हेतु प्रेषित किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया जिला मजिस्ट्रेट करौली की ओर से पारित आदेश दिनांक 14.07.2022 के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में दिनांक 28.10.2022 को अपील पेश किए जाने पर उक्त अपील मियाद बाहर होने के कारण सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई है। ऐसी

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

स्थिति में अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार किए जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील के साथ प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.07.2022 की नकल हेतु दिनांक 26.07.2022 को आवेदन करने व इसकी नकल दिनांक 02.09.2022 को प्राप्त होने पर जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अपील पेश किए जाने का उल्लेख करते हुए शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। रैस्पोडेन्ट की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का न तो कोई जवाब ही पेश किया गया और न ही काउन्टर शपथ पत्र ही प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं रह जाता है। अतः अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है तो विद्वान जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2022 अदालत हाजा की ओर से पारित निर्णय दिनांक 23.11.2021 में दिए गए निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में पारित किया गया है। उक्त आदेश में जिला मजिस्ट्रेट करौली ने 2014 के पंचायत चुनावों में जिले के शस्त्र अनुज्ञाधारियों को दिनांक 29.12.2014 को दिए गए निर्देश जिसमें दिनांक 03.01.2015 से पूर्व शस्त्र संबंधित थाने में जमा करवाने हेतु कहा गया था व इसके बाद दिनांक 14.01.2015 को अंतिम अवसर दिए जाने का उल्लेख करते हुए स्थानीय समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करवाए जाने का उल्लेख किया गया है। इस आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि अपीलान्ट द्वारा शस्त्र थाने में जमा नहीं कराए जाने व आयुध अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने के कारण दिनांक 13.03.2015 को 64 शस्त्र अनुज्ञाधारियों के शस्त्र अनुज्ञापत्रों को निरस्त किया गया था। जिसमें कम संख्या 59 पर अपीलान्ट का नाम दर्ज था। उक्त आदेश को ही उचित मानते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2022 के द्वारा अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र संख्या 2567/01 को निरस्त किए जाने का आदेश दिया है जो कि अदालत हाजा की ओर से अपील संख्या 1/2019 उनवानी भाई राम बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 23.11.2021 के अनुरूप नहीं है। क्योंकि अदालत हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 23.11.2021 में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर प्रकरण अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र संख्या 2567/01 के संबंध में पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया गया था कि अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए आयुध अधिनियम के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में कानून एवं शांति व्यवस्था के औचित्य को दृष्टिगत रखते हुए गुणावगुण के आधार पर पुनः तार्किक न्यायसंगत व स्पीकिंग आदेश पारित करें। उक्त आदेश की पालना में यद्यपि जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा पुलिस अधीक्षक करौली को पत्र कमांक 278 दिनांक 22.02.2022 के द्वारा तीन बिन्दु जिसमें शस्त्र अनुज्ञाधारकों की चरित्र सत्यापन रिपोर्ट, शस्त्र के थाने में जमा होने संबंधी रिपोर्ट व शस्त्र अनुज्ञापत्र की बहाली के संबंध में अपना स्पष्ट अभिमत भिजवाने हेतु लिखा गया था। इस पत्र की पालना में पुलिस अधीक्षक करौली द्वारा पत्र दिनांक

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

28.06.2022 के द्वारा अपीलान्ट के प्रकरण में इस आशय की रिपोर्ट भिजवाई गई कि शस्त्र अनुज्ञाधारी श्री भाईराम का शस्त्र दिनांक 03.01.2018 से थाना बालघाट के मालखाना में जमा है, अनुज्ञाधारी श्री भाईराम के विरूद्ध कोई अभियोग पंजीवद्ध नहीं है और न ही कोई प्रकरण विचाराधीन है। थानाधिकारी बालघाट एवं वृत्ताधिकारी टोडाभीम द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र को पुनः बहाल करने पर अनापत्ति रिपोर्ट प्रेषित की है। इस रिपोर्ट के आधार पर आवेदक के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किए जाने हेतु अनापत्ति रिपोर्ट प्रेषित की गई। यद्यपि अपीलान्ट को भी जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा अपना पक्ष रखे जाने हेतु नोटिस दिनांक 06.06.2022 को जारी किया गया। जिसकी तामील अपीलान्ट के बड़े भाई श्री समय सिंह को होने के बाद अपीलान्ट अदालत मातहत में स्वयं उपस्थित रहे हैं। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का यह कथन की उन्हें सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर नहीं दिया गया, उचित प्रतीत नहीं होता है। परन्तु विद्वान जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा अपीलाधीन निर्णय में अदालत हाजा की ओर से पारित निर्णय दिनांक 23.11.2021 में दिए गए इन निर्देशों कि आयुध अधिनियम के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में कानून एवं शांति व्यवस्था के औचित्य को दृष्टिगत रखते हुए गुणावगुण के आधार पर पुनः तार्किक, न्यायसंगत व स्पीकिंग आदेश पारित करें, की पालना किए जाने का अभाव पाया गया है। अदालत हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.11.2021 के कम में पुलिस अधीक्षक करौली से भी तीन बिन्दुओं के संबंध में रिपोर्ट मंगवाई गई व पुलिस अधीक्षक करौली से तीनों बिन्दुओं के संबंध में रिपोर्ट भी प्राप्त हो गई, परन्तु जिला मजिस्ट्रेट करौली ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.07.2022 में पुलिस अधीक्षक करौली से प्राप्त रिपोर्ट के संबंध में कोई विवेचन नहीं किया गया और न ही यह उल्लेख किया गया कि पुलिस अधीक्षक करौली से प्राप्त रिपोर्ट से असहमति के क्या कारण हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट करौली को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट के प्रकरण में अदालत हाजा की ओर से अपील संख्या 1/19 भाईराम बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 23.11.2021 में दिए गए निर्देशों के कम में आयुध अधिनियम के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में कानून एवं शांति व्यवस्था के औचित्य को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक करौली से प्राप्त रिपोर्ट के संबंध में अपना स्पष्ट अभिमत व्यक्त करते हुए पुनः तार्किक, न्यायसंगत व स्पीकिंग आदेश पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 25.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर